क्रमांक 16/2/78-3 जी0 एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (ना) हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 11/13-10-78

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को तथा सेवा अवधि के दौरान अन्धे या नकारा हो जाने के कारण सेवा निवृत किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वकअनुदान तथा अन्य सुविधायें-भवन निर्माण ऋण पर लगे ब्याज की राशि माफ करना-प्रोफार्मा में सूचना देने बारे।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 7260-3 जी0एस0-II-71/880, दिनांक 10-1-1972 के पैरा (IV) के अनुसार सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिये गये भवन निर्माण ऋण पर लगे ब्याज की राशि उपयुक्त केसों में माफ की जा सकती है। आगे, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 12155-3 जी0 एस0-II-75/34723, दिनांक 2-12-1975 के अनुसार यह सुविधा सेवा अवधि के दौरान अन्धे या नाकारा हो जाने के कारण सेवा निवृत किये जाने वाले कर्मचारियों को भी दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि भवन निर्माण ऋण पर लगे ब्याज की राशि को माफ करने के लिये प्रस्ताव भेजते समय कृपया भविष्य में संलग्न प्रोफार्मा के भाग (I) के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से या नाकारा अथवा अंधा हो जाने के कारण सेवा निवृत किये गये कर्मचारियों से शपथ पत्र के रूप में प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तथा प्रोफार्मा का भाग (2) विभाग द्वारा भरकर सरकार को अवश्य भेजे जायें।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, न्याचार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा न्यायाचार

एक प्रति अनुलग्नक सहित, वित्तायुक्त एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

भवन निर्माण ऋण पर लगे ब्याज को माफ करने बारे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों या नकारा कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाला प्रार्थना-पत्र ।

भाग (I) जो प्रार्थी द्वारा भरा जाय ।

1. (क) मृतक/नकारा कर्मचारी का नाम ।
   (ख) कर्मचारी की पद संज्ञा ।
   (ग) कर्मचारी के कार्यालय/विभाग का नाम ।
   (घ) कर्मचारी की मृत्यु/नकारा होने की तिथि ।
   (ङ) मृतक कर्मचारी के साथ संबंध ।

2. कर्मचारी की चल/अचल सम्पत्ति :—
   (क) बैंक/डाकखाने में जमा राशि ।
   (ख) बीमा पालिसी की राशि ।
   (ग) नकदी ।
   (घ) आभूषण ।
   (ङ) अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि, मकान, मकान के लिये प्लाट आदि) का ब्यौरा, कीमत सहित ।

3. परिवार के आय के साधन :—
   (क) परिवार के सदस्यों का ब्यौरा, उनकी मासिक आय सहित ।

क्रम संख्या	नाम	कर्मचारी के साथ संबंध तथा आयु	नौकरी या कोई अन्य काम करता है। आय भी बताएं	परिवार के साथ रहता है या अलग

   (ख) अन्य साधनों (कृषि योग्य भूमि, मकान आदि) से प्राप्त आय ।

4. मृतक के परिवार/नकारा कर्मचारी की निम्नलिखित मदों से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण :—
   (क) मासिक पैन्शन ।
   (ख) ग्रेच्युटी ।
   (ग) भविष्य निधि कोष (जी० पी० फण्ड)
   (घ) किसी स्टेच्युट आदि के अधीन प्राप्त धन राशि (उदाहरणतया: वर्क मैन कम्पनसेशन एक्ट के अधीन प्राप्त धन राशि)

5. मृतक के परिवार/नकारा कर्मचारी की जिम्दारियों का ब्यौरा ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर
पूरा पता

घोषण-पत्र

मैं यह निश्चय पूर्वक घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ठीक एवं सत्य हैं और मैंने कोई भी बात गुप्त नहीं रखी है ।

अभिसाक्षी

नोट :—यह सूचना 10 पैसे के मूल्य के नान-ज्युडिशियल कागज़ पर तथा ओथ-कमिशनर/प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित हो ।

भाग (2) विभाग द्वारा दिये जाने वाली सूचना :—

1. (क) कर्मचारी की जन्म तिथि ।
   (ख) कर्मचारी की सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि ।
   (ग) क्या कर्मचारी स्थायी था अथवा अस्थायी ।

2. (क) कर्मचारी द्वारा भवन-निर्माण के लिये प्राप्त ऋण की कुल राशि ।
   (ख) ऋण प्राप्त करने की तिथि (तिथियां)
   (ग) कर्मचारी द्वारा मृत्यु तक/नकारा होने तक ऋण की वापिस की गई कुल राशि ।
   (घ) कर्मचारी की मृत्यु/नाकारा होने की तिथि तक भवन निर्माण ऋण पर लग ब्याज की कुल राशि जो बकाया है ।

3. विभाग की सिफारिश ।
   (सिफारिश के कारणों सहित)

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर ।